दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर

''जमा खाता तथा जमाओं के ब्याज भुगतान''

संबंधी नीति-2020

1. भूमिका :-

बैंक द्वारा जमा राशि स्वीकार करना तथा जमा खाते का परिचालन मुख्य कार्य होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में दी गई परिभाषा के अनुसार ''बैकिंग'' शब्द की मूलभूत वैधानिक व्याख्या का अर्थ ऋण देने या निवेदन करने के प्रयोजन से जनता से जमा राशियां स्वीकार करना बताया गया है जो मांग पर या अन्यथा चुकोती योग्य तथा चैक/ड्राफ्ट/आदेश द्वारा आहरणीय हो। जमा राशियां बैंक का प्रधान संसाधन है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मास्टर परिपत्र के जरिये विभिन्न अनुदेश, दिशा निर्देश का रिव्यू करता है।

2. जमा खाता खोलना :-

बैंक में बहुत सारी धोखाधडियां मुख्य रूप से चैको से अनियमित भुगतान, खातो में हेरफेर तथा खातो में अनाधिकृत परिचालन के जरिये की जाती है। अतः खाता खोलना तथा परिचान के प्रति अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी परक्राम्य लिखित के भुगतान या संग्रह को उचित तरीके से हुआ तभी माना जा सकता है यदि बैंक सदिच्छा से बिना किसी लापरवाही से काम करता है और ऐसा वह ग्राहक के हित में करता है।

2.1 खाते खोलने के लिये परिचय अनिवार्य नही :-

पी.एम.एल. अधिनियम एवं नियमावली तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा केवाईसी अनुदेशो के अन्तर्गत खाते खोलने के लिये परिचय आवश्यक नही है। बैंक को खाते खोलने के लिये परिचय का आग्रह नही करना चाहिये। (संदर्भ केवाईसी पॉलिसी)

2.2 खाताधारको के फोटोग्राफ :-

(a) बैंक सभी नये खाते खोलने वाले जमाकर्ता/खाताधारको से एक नवीनतम फोटो लेना सुनिश्चित करेगी तथा यह फार्म पर चिपकाना सुनिश्चित करें तथा स्टेपलपीन का प्रयोग नही करें।

(b) जमा की प्रत्येक श्रैणी के लिये एक ही फोटोग्राफ का प्रयोग करें ना कि भिन्न-भिन्न।

(c) जो खाते का संचालन करेगे उनके ही फोटो प्राप्त किये जाये। यदि खाता सिर्फ बच्चे के नाम से हो तो अभिभावक की फोटो ली जाये। बच्चो के व्यस्क होने पर नया फोटो लेना होगा।

(d) पर्दानशीन महिलाओं के भी फोटो लिये जायेगें।

2.3 खाताधारको का पता :-

बैंक द्वारा जमाकर्ता को पूरा तथा सम्पूर्ण पता प्राप्त करना चाहिये और उन्हें बैंक की बुक्स और खाता खोलने के फार्म में रिकार्ड करना चाहिये ताकि आवश्यकता होने पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खाताधारक के पते की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलो में प्राप्त की जानी चाहिये।

2.4 अन्य सुरक्षा उपाय :-

2.4.1 पैन/जी.आई.आर./संख्या

₹50,000/- या उससे अधिक जमा की प्रारम्भिक जमा से खाता खोलने पर पैन/जी.आई. आर. संख्या प्राप्त किये जायेगें।

2.4.2 प्राधिकृत करना :-

शाखा प्रबन्धक/सहायक शाखा प्रबन्धक द्वारा ही नये खाते को खोलने पर सिस्टम में प्राधिकृत करें।

2.4.3 औपचारिकतायें पूरी करना :-

जहां तक संभव हो बैंक परिसर में ही सभी औपचारिकतायें पूरी हो। खाते के परिचालन से पूर्व सभी जांच पूरी कर ब्यौरे का सत्यापन यदि आवश्यक है तो करनी चाहिये। यदि विशेष जरूरी हो तो अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सत्यापन का कार्य करवाया जा सकता है।

2.4.4. वितीय समावेशन :-

बैंक में बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने की सुविधा रहेगी तथा यह एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जायेगा।

(i) न्यूनतम शेष की अपेक्षा नही रहेगी।

(ii) इसमें सभी सुविधायें जेसे- एटीएम/चैक जमा संग्रहण आदि की सुविधा शामिल है एक माह में 4 एटीएम आहरण की सुविधा होगी।

(iii) अपरिचलित खाते का परिचालन के लिये संचालक मंडल द्वारा निर्धारित चार्ज लिया जायेगा।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरलीकृत के.वाई.सी. के मानको के आधार पर खाता खोला जा सकता है।

3. नाबालिगो के नाम से खोलना :-

3.1 नाबालिगों के नाम से खाता खोलना :-

वितीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा बेंको के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से नाबालिगो के खाते खोलने हेतु निम्न कार्यवाही करें-

i) किसी भी आयु के नाबालिग द्वारा उसके नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से बचत/सावधि/आवर्ती बैंक खाता खोला जा सकता है।

ii) 10 वर्ष उपर की आयु वाले नाबालिग, यदि चाहें तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालन करने की अनुमति दी जाये। तथापि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुये नाबालिग की आयु के अनुसार उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से परिचालन की राशि की सीमायें निर्धारित कर सकते है। वे अपने विवेक के अनुसार यह भी तय कर सकते है कि नाबालिगों द्वारा खाते खोलने के लिये न्यूनतम कौन से दस्तावेज अपेक्षित है।

iii) बालिग होने पर पूर्व नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिये और यदि खाते का परिचालन नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता हो तो नये सिरे से पूर्व नाबालिग के परिचालन संबंधि अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सभी परिचालनगत प्रयोजनों से अभिलेख में रखे जाने चाहिये।

iv) बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधायें, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चैकबुक सुविधा आदि प्रस्तावित करने के लिये स्वतंत्र है, बशर्ते कि नाबालिग खातो में अधि-आहरण की अनुमति नही होगी तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहें।

3.2 अभिभावक के रूप में माता के साथ बच्चे का खाता :-

3.2.1. सामान्यतया बैंक संरक्षक के रूप में माता के साथ बच्चे के नाम से खाता खोलना नही चाहते है। स्पष्ट तथा, पिता के जीवित रहते संरक्षक के रूप में माता के प्रति उदासीनता का आधार हिंदू अल्पवयस्कता तथा संरक्षकत्व अधिनियम, 1956 की धारा 6 है जो यह निर्धारित करती है कि जीते जी केवल पिता ही किसी हिन्दू बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक होता है।

3.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समस्या के कानूनी तथा व्यवहारिक पहलुओ की समीक्षा की है और यह महसूस किया है कि यदि माताओं को संरक्षक माने जाने की मांग का मूल विचार केवल सावधि, आवर्ती जमा तथा बचत बैंक खाता खोलने से जुड़ा हे तो आवश्यकताऐं पूरी करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिये क्योकि वैधानिक प्रावधानो के बावजूद बैको द्वारा इस प्रकार के खाते खोले जा सकते है। बशर्ते वे खातो में परिचालन की अनुमति देने में पर्यापत सुरक्षायें बरतते हो तथा यह सुनिश्चित करते हो कि संरक्षक के रूप में माताओं के साथ खोले गये बच्चो के खातो से अति आहरण करने की अनुमति नही दी जायेगी तथा उन खातो में हमेशा जमा रहेगा। इस प्रकार संविदा करने की बच्चे की क्षमता विवाद का विषय नही होगी।

3.2.3 इसके अतिरिक्त जिन मामलो में बडी धनराशि लगी हो तथा यदि बच्चा इतना बड़ा हो कि लेनदेन के प्रकार को समझता हो तो बैंक इस प्रकार के खाते से धन का भुगतान करने के लिये उसकी स्वीकृति भी ले सकते है।

4. नामांकन सुविधाऐं :-

4.1 परिचालनात्मक अनुदेश :-

i) नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातो को उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

ii) जब तक कि ग्राहक नामांकन करना चाहे (गैर अनुपालना की अटकलो की गुंजाइश के बिना इसे दर्ज किया जाये) नामांकन सभी मौजूदा और नये खातो के लिये एक नियम होना चाहिये।

iii) जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति को नामांकन भरने के लिये आग्रह किया जाये। खाता खोलने वाला व्यकित नामांकन भरने के लिये मना करता है तो बैंक को उसे नामांकन सुविधा के लाभ स्पष्ट करने चाहिये। इसके बावजूद यदि व्यक्ति नामांकन करने के लिये इच्छुक नही है तो बैंक को जमाकर्ता से इस आशय का पत्र प्राप्त करना चाहिये। यदि जमाकर्ता इस प्रकार का पत्र देने से भी इंकार करें तो खाता खोलने वाले फार्म पर इस तथ्य को दर्ज करना चाहिये और अन्य पात्रता पूर्ण करने पर खाता खोलना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में केवल नामांकन करने से मना करने के आधार पर बैंक को खाता खोलने से इंकार नहीं करना चाहिये। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के जमा खातो के संबंध में यदि क्रियाविधी अपनायी जाये।

iv) हम यह स्पष्टीकृत करते है कि सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली 1985 के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न फार्मो (बैंक जमा के लिये डी ए 1, डी ए 2, डी ए 3- सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये सामान के लिये एस सी 1, एस सी 2, एस सी 3- सुरक्षित जमा लॉकर के लिये एस एल 1, एसएल 2, एस एल 3 एवं एस एस 3ए) के लिये खाताधारक के अंगूठे के निशान को ही दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना है। खाताधारक के हस्ताक्षरो को दो साक्षियो द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित नही है।

4.2 अधिनियम प्रावधान :-

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तक (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) निम्नलिखित मामलो में अन्य बातो के साथ-साथ यह प्रावधान करती है।

i) ताकि बैंक किसी दिवंगत जमाकर्ता के नामितनी को जमाकर्ता के जमा खातो में पड़ी राशि का भुगतान कर सकें।

ii) ताकि बैंक किसी दिवंगत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से वस्तुओं की सूची बनाने के बाद उसके नामिनी को लौटा सकें।

iii) ताकि बैंक सेफ्टी लॉकर किराये पर लेने वाले किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से सेफ्टी लॉकर की वस्तुओं की सूची बनाकर उन वस्तुओ को दिवंगत ग्राहक के नामिनी को दे सकें।

4.3 नियम :-

सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 में निम्नलिखित का प्रावधान है:-

i) जमा खातो, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं तथा सुरक्षा लॉकरो में रखी गई वस्तुओं के लिये नामांकन फार्म

ii) नामांकन निरस्त करने या उसमें परिवर्तन करने के लिये फार्म

iii) नामांकनो का पंजीयन तथा नामांकना को निरस्त एवं उनमें परिवर्तन करना तथा उपयुक्त से संबंधित मामलें।

जमा खातो से संबंधित नामांकन के नियम निम्नलिखित है:-

a) बैंक द्वारा धारित एक या अधिक व्यक्तियों के नाम जमा के संबंध में जमाकर्ता द्वारा या सभी जमाकर्ताओं द्वारा मिलकर किया गया नामांकन।

b) कथित नामांकन केवल उसी जमा के बारे में किया जा सकता है जो कि जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में धारित है ना कि किसी कार्यालय या अन्यथा धारक के रूप में किसी प्रतिनिधि की हैसियत में।

c) जहां नामिनी अव्यस्क हो, नामांकन करते समय मामले के अनुसार जमाकर्ता या सभी जमाकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को जो अवयस्क ना हो जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या नामिती की अल्पवयस्कता के दौरान सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के मामले में नामिती की तरफ से जमाराशि प्राप्त करने के लिये नियुक्त करें।

d) किसी अवयस्क के नाम से किये गये जमा के मामले में अवयस्क की तरफ से विधि सम्मत् रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जायेगा।

e) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किये गये कथित नामांकन को रद्द करना।

f) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किये गये कथित नामांकन में परिवर्तन।

g) कथित नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जायेगा।

h) बैंक द्वारा जमाकर्ता या जमाकर्ताओं जैसा मामला हो के नामे खाता जमा धारित करने के दौरान नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन परिवर्तन उपर्युक्त के अनुसार किया जा सकता है।

i) यदि कोई जमा एक से अधिक जमाकर्ताओं के नाम धारित हो तो किसी नांमाकन का निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन तब तक वैध नही होगा जब तक नामांकन के निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन के समय जीवित सभी जमाकर्ताओं द्वारा ना किया गया हो।

j) बैंक किसी जमा के संबंध में जैसा मामला हो, नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के विधिवत् पूरित संबंधित फार्म की प्राप्ति सूचना लिखित रूप में संबंधित जमाकर्ता या जमाकर्ताओं को देगा।

k) बैंक को प्रस्तुत नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन का विधिवत् भरा गया संबंधित फार्म को सहकारी बैंक की बहियो में दर्ज किया जायेगा।

l) नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन केवल जम के नवीनीकरण के कारण से अप्रभावी नही हो जायेगा।

4.4 नामांकन का अभिलेख :-

4.4.1 सहकारी बैंक(नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9)के अनुसार बैंको को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गये संबंधित फार्म जमा किये जाने की सूचना जमाकर्ता (ओं)/लॉकर किराये पर लने वाले को लिखित रूप से देना आवश्यक है। बैंको को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियो पर यथा लागू) तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली 1985 के प्रावधानो का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवृत भरे गये फार्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिये एक उचित प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की प्राप्ति सूचना सभी ग्राहको को दी जानी चाहिये, चाहे ग्रहको ने इसकी मांग की हो या नही। इसके अतिरिक्त यदि ग्राहक ऐसा करने के लिये सहमत हो तो बैंको को चाहिये कि वे पासबुक/खाता विवरण/मियादी जमा रसीदो पर नामांकन पंजीकृत शब्दो के साथ नामिती का नाम भी दर्शायें।

4.4.2 नामांकन का पंजीकरण :-

नियम 2 (10), 3(9) तथा 4(10) के अनुसार बैको के लिये यह आवश्यक है कि वे नामांकनो, नामांकनो के निरस्तीकरण तथा/या उनमें परिवर्तनो को अपनी बहियो में दर्ज करें। तदानुसार बैंको को लॉकरो के अपने जमाकर्ता (ओं) किरायेदार (ओं) के नामांकन दर्ज करने या उनमें उनके द्वारा किये गये परिवर्तनो पर कार्यवाही करनी चाहियें।

नामांकन दर्ज करते समय निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

i) नामांकन फार्म प्राप्त करने के अतिरिक्त बैंक खाता खोलने वाले फार्म में नामिती के नाम तथा पते का उल्लेख करने का प्रावधान करें। ग्राहको तक पहुंचने वाले चैकबुक, पासबुक तथा अन्य किसी साहित्य पर सटीक संदेश मुद्रित करने तथा नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिये आवंधिक अभियान चलाने के साथ-साथ नामांकन सुविधा के संबंध में प्रचार किया जायेगा।

ii) संयुक्त जमाराशियों के मामले में किसी एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य जमाकर्ता (ओं) द्वारा साथ-साथ परिचालन करने के लिये बैंक एक नामांकन में परिवर्तन/निरस्तीकरण की अनुमति दें। यह उन जमाराशियो पर भी लागू होगा जिनमें परिचालन के लिये जमाकर्ताओं में से कोई एक अथवा जीवित जमाकर्ता अनुदेश हों। यह नोट किया जाये कि संयुक्त जमा खाता के मामले में नामिती का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही होगा।

iii) बैंक नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में पंजीकृत नामांकन के प्रतीक के साथ बुक के मुख पत्र पर स्थिति दर्ज करने की प्रथा शुरू करें। मियादी जमा रसीद के मामले में भी ऐसा ही किया जाये।

4.5 सुरक्षित जमा लॉकर खातो के संबधं में नामांकन :-

4.5.1 वैधानिक उपबंध :-

सुरक्षित लॉकरो में रखे सामानो के नामांकन तथा उन्हें नामिती को निर्मत करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये दावों की सूचना के विरूद्ध सुरक्षा से संबंधित वैधानिक उपबंधो का विवरण उक्त अधिनियम की धारा 45 जेड ई तथा 45 जेड एफ में दिया गया है।

4.5.2 सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन नियम :-

सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन संबंधी नियम नीचे दिये गये है:-

a) जहां किसी सहकारी बैंक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लॉकर किराये पर लिया गया हो तो नामांकन इस प्रकार के किरायेदार द्वारा किया जाये।

b) किसी लॉकर के इकलौते किरायेदार के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जायेगा।

c) जहां लॉकर किसी अल्पवयस्क बच्चे के नाम पर किराये पर लिया गया हो तो नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो अल्पवयस्क बच्चे की तरफ से परिचालन करने के लिये कानूनी तौर पर अधिकृत हो।

d) लॉकर के किसी इकलौते किरायेदार या संयुक्त किरायेदारो द्वारा जैसी भी स्थिति हो किये जाने वाले कथित नामांकन का निरस्तीकरण

e) किसी लॉकर के इकलौते किरायेदार द्वारा किये जाने वाले कथित नामांकन में परिवर्तन

f) किसी लॉकर के संयुक्त किरायेदारो द्वारा किये जाने वाले नामांकन में परिवर्तन।

g) कोई नामांकन, किसी नामांकन का निरस्तीकरण अथवा नामांकन में परिवर्तन जितने समय तक लॉकर किराये पर लिया गया हो उतने समय के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त प्रकार से किया जा सकता है।

h) सहकारी बैंक इस प्रकार किराये पर लिये गये लॉकर के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गये फार्म दायर करने की प्राप्ति सूचना लिखित रूप में इकलौते किरायेदार या संयुक्त किरायेदारो को देगा।

i) सहकारी बैंक के दायर नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गये फार्म को सहकारी बैंक की बहियो में दर्ज किया जायेगा।

4.5.3 परिचालनात्मक अनुदेश :-

i) नामिति (यों) की लॉकर तक पहुंच तथा उसे/उन्हें लॉकर के सामान हटाने की अनुमति देने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के लिये प्रारूप निर्धारित कर दिये है।

ii) बैंक उपर्युक्त पैरा 4.5.3 (iv) में किये गये उल्लेख के अनुसार कार्यवाही करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा की राशियां, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान तथा लॉकरो के सामान सही नामिति को लौटाये गये है।

iii) लॉकरो के सामान नामिति या नामितियों तथा जीवित किरायेदारों को निर्गत करते समय बैंक लॉकर में पाये गये मुहरबंध/बंद पैकेट ना खोलें।

iv) जहां तक संयुक्त रूप से किराये पर लिये गये लॉकर का संबंध है तो संयुक्त किरायेदार में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लॉकर से सामान हटाने (नामिति तथा जीवित व्यक्तियो द्वारा संयुक्त रूप से) की अनुमति निर्धारित तरीके से सामान की सूची देने के बाद ही दी जाये। इस प्रकार के मामले में सामान सूची से पहले इस प्रकार सामान हटाने के बाद यदि नामिति तथा जीवित उत्तराधिकारियो चाहे तो लॉकर किराये पर लेने की एक नई संविदा करके सभी सामान उसी बैंक में अभी भी रख सकते है।

v) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड ई किसी अल्पवयस्क को किसी लॉकर के सामान की सुपुर्दगी प्रापत करने के लिये नामिति होने से नही रोकती। तथापि इस प्रकार के मामलो में बैको का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी लॉकर के सामान किसी अल्पवयस्क नामिति की तरफ से निकाले जाने हो तो वस्तुऐं ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाये जो कानून अल्पवयस्क नामिति की तरफ से वस्तुऐं प्राप्त करने के लिये सक्षम हो।

5. खातों का परिचालन :-

5.1 संयुक्त खाते :-

5.1.1 संयुक्त खातो के परिचालन के तरीके

i) भारतीय रिजर्व बैंक एसोसियेशन से 28 अगस्त 1980 को प्राप्त पत्र सं-एलएसी/19.96.29 की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है। बैंक अपनी शाखाओं के सूचनार्थ तथा इस विषय पर आवश्यक मार्गदर्शन निम्न होगें।

ii) यदि मियादी/सावधि जमा राशि खाते दोनो में से कोई एक या उत्तरजीवी इस अनुदेश के साथ खो गये है तो परिपक्वता पर जमा राशि का भुगतान करने के लिये दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नही है। तथापि, परिपक्वता अवधि के पहल जमाराशि का भुगतान करने के लिये दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है। यदि खाता खोलते समय दोनो में से कोई एक या उत्तरजीवी यह परिचालन अनुदेश दिये गये हो और परिपक्वता अवधि से पहले दोनो में से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को प्रायः किसी एक संयुक्त खाताधारक की मृत्यु के बाद जीवित जमाकर्ताओं से समयपूर्व नकदीकरण या सावधि जमा प्राप्ति पर ऋण की मंजूरी की अनुमति के लिये अनुरोध प्राप्त होता है। समयपूर्व भुगतान के लिये जीवित जमाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करना उचित होगा यदि (i) जमा की संविदा में परिपक्वता से पूर्व भुगतान करने का विकल्प शामिल हो तथा (ii) मूल जमाकर्ताओं से "कोई एक/कोई या जीवित नामिति का अधिकार" का आदेश प्राप्त हो गया हो। जीवित जमाकर्ताओं से ऋणों के लिये अनुरोधो पर भी विचार विशेष मामले में किया जा सकता है।

iii) पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी परिचालन अनुदेश होने की स्थिति में दोनो जमाकर्ता जीवित होने के बावजूद सिर्फ पूर्ववर्ती व्यक्ति मियादी/सावधि जमा राशि का परिचालन /आहरण कर सकता है। तथापि, परिपक्वता अवधि से पहले जमा रशि का भुगतान करने के लिये दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिये। यदि पूर्ववर्ती व्यक्ति मियादी/सावधि जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पहले मृत हो जाता है तो परिपक्वता पर उत्तरजीवी जमा राशि आहरित कर सकता है। यद्यपि जमा राशि के अवधिपूर्व आहरण के लिये दोनो जमाकर्ता यदि जीवित है तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता और दोनो में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर मृत

जमाकर्ता के कानूनी वारिस दोनो पक्षो की सहमति आवश्यक है तथा बैंक को इस संबंध में जमा करवाते समय ही जमाकर्ताओ से इस संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

iv) यदि संयुक्त जमाकर्ता दोनो में से कोई एक या उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी परिचालन आदेश जैसे भी स्थिति हो के साथ मियादी/सावधि जमाराशि का अवधिपूर्ण आहरण करना पसंद करते है तो बैंक ऐसे कर सकता है, बशर्ते इस प्रयोजन के लिये बैंक ने जमाकर्ताओं से संयुक्त आदेश प्राप्त किया हो।

v) संयुक्त सावधि जमा : पूर्ववर्ती या जीवित नामिति/उत्तरवर्ती या जीवित नामिति आदि इन सावधि जमाओं के मामले में, स्वामी जमाकर्ता (पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती) का इरादा केवल जीवित नामित को उसकी (जमाकर्ता) मृत्यु की स्थिति में पुर्नभुगतान को सुविधाजनक बनाना है। वह (स्वामी जमाकर्ता) अपनी मृत्यु या जमा प्राप्तियो को परिपक्वता, जो भी पहले हो, होने तक सभी धन का निपटान करने का अधिकार सभी समय अपने पास रखने की स्थिति में है। इसलिये बैंको को पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती के अनुरोध पर इस प्रकार की जमा के समयपूर्व भुगतान या उन पर अग्रिम मंजूर करने की अनुमति सावधि जमा प्राप्ति के अन्य पक्ष/पक्षों से सहमति पत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करने के बिना देने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये। यहां सावधि जमा खाता खोलने या आवेदन पत्र में समुचित अनुच्छेद जोड़कर संयुक्त खातेदारो के लिये इस स्थिति को स्पष्ट बनाने को भी तरजीह देना है।

5.1.2 संयुक्त खाता खोलने में बरती जाने वाली सावधानियां :-

i) बहुत सारे संयुक्त खाताधारको के मामले में बैको को संयुक्त खाते खोलते समय तथा उनमें परिचालन की अनुमति देते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशो को ध्यान में रखना चाहियेः

a) यद्यपि किसी संयुक्त खाते में खाताधारको की संख्या पर कोई प्रतिबंध नही है फिर भी यह बैंको की जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त खाता खोलने के प्रत्येक अनुरोध की बहुत सावधानी से जांच करें। विशेष रूप से, पक्षकारों द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के स्वरूप, व्यवसाय से जुडे अन्य संबंधित पहलुओं, खाताधारको की वितीय स्थिति पर खाता खोलने से पूर्व गौर करना जरूरी है। उस स्थिति में भी सावधानी बरतने की जरूरत है जब खाताधारको की संख्या बडी हो।

b) तीसरे पक्षकारो को भुगतान के लिये आदाता खाता चैको का संग्रह नहीं किया जाना चाहिये।

c) ऐसे चैक जो सामान्य रूप से रेखित हो ही आदाता द्वारा समुचित परांकन के बाद संग्रहित किये जाने चाहिये।

d) बड़ी राशियों के चैको की वसूली में सावधानी बरतनी चाहिये।

e) संयुक्त खातो में किये गये लेनदेनों की संविक्षा बैंको द्वारा आवंधिक रूप से की जानी चाहिये तथा मामले में जो भी कार्यवाही उचित हो की जानी चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरतनी चाहिये कि संयुक्त खातो का प्रयोग बेनामी लेनदेनों के लिये नही किया जा रहा है।

ii) आंतरिक नियंत्रण तथा सर्तकता तंत्र को सख्त किया जाना चाहिये ताकि संयुक्त खाते खोलने तथा उनमें परिचालन से जुडे उपर्युक्त पहलुओं पर निगरानी रखी जा सकें।

5.2 नये खातो में परिचालनों की निगरानी :-

5.2.1 नये खातो में परिचालनों पर गहन निगरनी रखने के लिये एक प्रणाली की शुरूआत की जानी चाहिये। हालांकि शाखाओं पर नये-नये खोले गये खातो की निगरानी करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारियों की होगी जबकि बडी शाखाओं पर शाखा प्रबन्धको या जमा खाता विभाग के प्रबन्धको को इस प्रकार के खाते

खोले जाने की तारीख से कम से कम पहले छः माह तक गहन निगरानी करनी चाहिये ताकि इस प्रकार के खातो में फर्जी या संदिग्ध लेनदेन हेाने को रोका जा सके। यदि किसी प्रकार के सदिग्ध लेनदेन का पता चलता है तो बैंक को खाता धारक से लेनदेन के बारे में पूछताछ करनी चाहिये और यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण ना मिले तो उन्हें इस प्रकार के लेनदेनो की सूचना उचित जांच एजेन्सी को देने पर विचार करना चाहिये।

5.2.2 जब कभी बड़ी राशियों के लिये चैक/ड्राफ्ट वसूली के लिये प्रस्तुत किये जाते हो या नये खाते खुलने के तुरन्त बाद/थोड़ी समयावधि के भीतर नये खातो में नामें खाता करने के लिये टेलीग्राफिंक अंतरण (टीटी)/मेल अंतरण (एमटी) प्राप्त हो तो सावधानी बरतनी चाहिये। इस प्रकार के मामलो में लिखितो तथा खाताधारक के औचित्य का विस्तारपूर्वक सत्यापन करना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो आदाता बैंक को संग्राहक बैंक से जारी होने वाली बड़ी राशि के चैको/ड्राफ्टो क औचित्य के बारे में जांच करनी चाहिये। वसूली के लिये प्रस्तुत बड़ी राशि वाले मांग ड्राफ्टो/चैको का सत्यापन बैंगनी लैपो से किया जाना चाहिये ताकि रासायनिक रूप से किये गये हेर-फेर की जांच हो सकें।

5.3 सभी खातो में परिचालनो की निगरानी करना

5.3.1 बड़ी राशियों के नकदी आहरणों की गहन निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाये। जब मौजूदा तथा नये खोले गये खातो में तीसरे पक्षकार के चैक, ड्राफ्ट आदि जमा किये जाते हो और उसके बाद बडी राशियों के लिये नकद आहरण किये जा रहे होतो बैंको को बड़ी राशियों हेतु नकद आहरणों के लिये अपने ग्राहको द्वारा किये गये अनुरोधों पर उचित निगरानी रखनी चाहिये।

5.3.2 बैंको 5 लाख रू. तथा उससे अधिक की नकद जमा तथा आहरणों की सघन निगरानी की व्यवस्था न केवल जमा खाता में बल्कि नकद/ओवर ड्राफ्ट आदि जैसे अन्य सभी खातो में भी शुरू करनी चाहिये। बैको/शाखाओ को 5 लाख तथा उससे अधिक के लिये व्यक्तिगत नकद जमा राशियों तथा आहरणों का विवरण दर्ज करने के लिये एक अलग रजिस्टर रखना चाहिये। जमाओं के मामले में दर्ज किये गये आंकडो में खाता-धारक का नाम, खाता संख्या, जमा की गई राशि तथा आहरणों के मामले में खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आहरण की राशि तथा चैक के लाभार्थी का नाम शामिल होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, 5 लाख तथा उससे अधिक की किसी नकद जमा या आहरणो की सूचना शाखा प्रबन्धक द्वारा खाताधारक के नाम, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख जेसे पूर्ण विवरणों के साथ पखवाड़ें के आधार पर प्रधान कार्यालय में देनी चाहिये। शाखाओं से इन विवरणों के प्राप्त होने के बाद प्रधान कार्यालय को तुरन्त उनके ब्योरो की जांच करनी चाहिये और लेन देन प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगते हो या संदेह पैदा करते हो तो अधिकारियो को प्रतिनियुक्ति करके ऐसे लेनदेनो की जांच करवानी चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान शाखाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जांच करेगें।

5.3.3. चैको के भुगतान में अन्य महत्वपूर्ण क्षैत्र जहां उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आहरणकर्ता के हस्ताक्षर का सत्यापन, नमूना हस्ताक्षरो के कार्ड की अभिरक्षा, चैक बुक जारी करने में निगरानी तथा खाली चैक बुक/पन्नो की अभिरक्षा पर नियंत्रण है। हालांकि बडी राशियों के चैको की पराबैंगनी किरण लैंपो से जांच करने की जरूरत को सभी बैको ने स्वीकार किया है परन्तु व्यवहार में बमुश्किल ऐसा किया जाता है। क्योकि ऐसे मामले में प्रायः ढिलाई बरतने की प्रवृति होती है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य हानि होती है। इसके अतिरिक्त टोकन जारी करने एवं उनकी अभिरक्षा, काउन्टर पर प्रस्तुत किये गये चैको के संचालन तथा बैंको द्वारा भुगतान कर दिये जाने के बाद सभी लिखितो की अभिरक्षा के

संबंध में उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। खाते बंद करते/स्थानान्तरित करते समय जमाकर्ताओं/ग्राहको से अप्रयुक्त चैक बुक सौंपने के लिये कहना चाहिये। नमूना हस्ताक्षर कार्डो की सुरक्षित अभिरक्षा का, विशेष रूप से जब परिचालनात्मक अनुदेश परिवर्तित हे गये हो, बहुत महत्व होता है। इस परिवर्तन का विधिवत् सत्यापना शाखा के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये।

5.4 चैकबुक जारी करना :-

नये चैकबुक पक्षकार को जारी किये गये पिछले चैकबुक की विधिवत् हस्ताक्षरित मांग पर्चिया प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किये जाने चाहियें। यदि कोई चैकबुक किसी मांग पत्र पर जारी किया जाता है तो आहरणकर्ता को बैंक में व्यक्तिगत रूप से आने के लिये कहना चाहिये या बिना वाहक को सुपुर्द किये चैक बुक पंजीकृत डाक से सीधे उसे भेज दिया जाना चाहिये। खुले चैक केवल खाताधारक को तभी जारी करना चाहिये जब वे व्यक्तिगत रूप से मांग पत्र लेकर पासबुक प्रस्तुत करते है।

5.5 बैंको में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते :-

बैंको के पास अदावी जमाराशियों की प्रति वर्ष बढ़ती हुई राशि तथा ऐसी जमा राशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय रहे है, उनका पता ठिकाना ढूंढने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये। इसके अलावा, ऐसी भी धारणा बनी है कि बैंक, ब्याज का भुगतन किये बिना अदावी जमाराशियों का अनुचित फायदा उठा रहे है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुये अप्रचलित/निष्क्रिय खातों पर कार्यवाही करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें :-

i) बैंक को उन खातो की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिये जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ हे। अर्थात आवंधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामें प्रविष्ठि नहीं है। ऐसे मामले में बैंक ग्राहको से संपर्क करें और उन्हें लिखित रूप में यह सुचित करें कि उनके खातो में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण पूछे। यदि ग्राहको को उक्त इलाकें से स्थानान्तरण होने के कारण खाते निष्क्रिय है तो ग्राहको से उनके नये बैंक खातो के ब्यौरे देने के लिये कहा जाये जिनमें विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सकें।

ii) यदि यह पत्र अवितरित वापस आते है तो बैंको को चाहिये कि वे अपने ग्राहको का अथवा ग्राहको की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके कानूनी वारिसो का पता-ठिकाना ढूंढने के लिये तत्काल जांच कार्यवाही प्रारम्भ करें।

iii) यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नही मिल रहा है तो बैंक को खाताधारक का परिचय कराने वाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिये। यदि ग्राहक के नियोजक/अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ब्यौरे उपलब्ध है तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। खाताधारक का टेलीफोन नम्बर/सेल नम्बर यदि बैंक को दिया गया है तो बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सते है। अनिवासी खातों के मामले में बैंक खाताधारको से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते है। और खातो के ब्यौरे के सबंध में उनकी File प्राप्त कर सकते है।

iv) जनहित को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अतिरिक्त बैंको को अदावी जमाराशियों/निष्क्रिय खातो के खाताधारको का पता लगाने के लिये अधिक सक्रिय (प्रो-एक्टिव) भूमिका निभानी चाहिये। अतः उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपनी वेबसाईटो पर उन अदावी जमा राशियों/निष्क्रिय खातो की सूची प्रदर्शित करें

जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से निष्क्रिय है। वेबसाईटो पर इस प्रकार प्रदर्शित /शाखा में प्रदर्शित की गई सूची में अदावी जमा राशियें/निष्क्रिय खातो से संबंधित खाताधारक (कों) के केवल नाम तथा पते होने चाहिये। यदि ऐसे खाते व्यक्तियों के नाम में नही हे तो खातो को परिचालित करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम भी दर्शाये जाने चाहिये। तथापि बैंक की वेबसाईट पर खाता संख्या, खाते का प्रकार तथा शाखा का नाम (यूनिट बैंको के मामले में लागू नही) प्रकट नहीं किया जायेगा। बैंक द्वारा प्रकाशित की गई सूची में एक फाईंड (Find) विकल्प प्रदान किया जाना चाहिये ताकि आम जनता खाताधारक के नाम से खातो की सूची खोज सकें।

v) बचत खातो में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नही हो रहा है तो उन्हें निष्क्रय खाता माना जायेगा।

vi) यदि खाताधारक खाते को परिचालन न करने के लिये कारण देते हुये कोई उत्तर देता है तो बैंको एक और वर्ष की अवधि के लिये उस खाते के सक्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिये। इस अवधि के भीतर उस खाताधारक को खाते को परिचालन करने के लिये अनुरोध किया जाये। तथापित विस्तारित अवधि के दोरान भी खाताधारक यदि खाता परिचालत नहीं करता है तो बैंको को चाहिये कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका निष्क्रिय श्रेणी में वर्गीकरण करेंगें।

vii) किसी भी खाते को निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिये ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किये गये दोनो प्रकार के लेनदेन, अर्थात नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिये। तथापि बैंक द्वारा लगाये गये सेवा प्रभार तथा बैक द्वारा जमा किये गये ब्याज को ध्यान में नही लिया जाये। ऐसे उदाहरण हो सकते है। जब किसी ग्राहक में सावधि जमाखाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश दिया हो और उक्त बचत खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किये जाने के कारण उसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिये। इस प्रकार जब तक सावधि जमा राशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाना है तब तक उस खाते को सक्रिय माना जाये। सावधि जमा खाते का ब्याज जमा करने की अंतिम प्रविष्ठि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे बचत बैंक खाते को निष्क्रिय माना जा सकता है।

viii) ऐसे उदाहरण हो सकते है जहां ग्राहक ने शेयरो पर लाभांश को बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश दिया हो तथा बचत बैंक खाते में अन्य कोई लेनदेन ना हो। इसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे खातो को दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जाना चाहिये या नही। इस संबंध में हम स्पष्ट करते है कि चूंकि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार शेयरो पर लाभांश को बचत बैंक खातो में जमा किया जाता है, अतः इसे ग्राहक की ओर से लेनदेन माना जाना चाहिये। इसलिये जब तक बचत बैंक खाते में लाभांश जमा होता रहेगा उसे सक्रिय खाता माना जाना चाहिये। ऐसे बचत खाते को लाभांश जमा करने की अंतिम प्रविष्ठि की तारीख से दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जा सकता है। बशर्ते उसमें ग्रहक की ओर से कोई अन्य लेनदेन ना किये गये हो।

ix) ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार उचित सावधानी बरतने के बाद ऐसे खातो में परिचालन की अनुमति दी जानी चाहिये। यहां उचित सावधानी का अर्थ होगा लेनदेन की प्रमाणिकता निश्चित करना, हस्ताक्षर तथा पहचान का सत्यापन आदि। तथापि, यह निश्चित किया जाये कि बैंक द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी के कारण ग्राहक को असुविधा नही होती है।

x) निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय करने पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारत चार्ज लिया जायेगा।

xi) बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि निष्क्रिय खाता लेजर में पड़ी शेष राशियो की बैंक के आंतरिक लेखा परिक्षको/सांविधक लेखा परिक्षको द्वारा संचित लेखा परिक्षा की जा रही है।

xii) बचत बैंक खातो में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिये चाहे खाता सक्रिय हो अथवा ना हो। यदि मियादी जमा राशि के परिपक्व होने पर देय राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

xiii) राज्य और केन्द्र सरकारो ने केन्द्र /राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिये खोले गये उन खातो में चैक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/इले. लाभ अंतरण/छात्रों के लिये छात्रवृत्ति आदि क्रेडिट करने में कठिनाई व्यक्त की है जो खाते दो वर्षो से अधिक अवधि के लिये परिचालन ना होने के कारण निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिये गये है। अतः बैंक द्वारा खोले गये ऐसे सभी खातो के लिये सीबीएस में एक अलग उत्पाद कोड दे ताकि उक्त राशि क्रेडिट करते समय गैर परिचालन के कारण निष्क्रिय खाते की शर्त लागू ना हो। ऐसे खातो में घोखाघड़ी आदि का जोखिम कम करने के लिये इन खातो में परिचालन के लिये अनुमति देते समय लेनदेन की प्राथमिकता, हस्ताक्षर का सत्यापन तथा पहचान आदि सुनिशचित करते हुये उचित सावधानी बरती जानी चाहिये। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ग्राहक को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो रही है।

xiv) ऐसे निष्क्रिय खातो जिनमें न्यूनतम शेष राशि ना रखी गई हो, के लिये संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर से चार्ज वसूल किया जायेगा।

5.6 बचत बैंक खातो में न्यूनतम शेष राशि ना रखने पर दंण्डात्मक प्रभार लगाना :-

दामोदरन समिति की सिफारिशो को ध्यान में रखते हुये तथा ग्राहको के हित में यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक खातो में न्यूनतम शेष राशि बनाये ना रखने के लिये प्रभाव वसूली करते समय अतिरिक्त दिशा-निर्देशो का पालन किया जायेगा।

i) बैंक और ग्राहक के बीच सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष राशि/औसत न्यूनतम शेष राशि के रख-रखाव में चूक होने पर बैंक को एस.एम.एस./ईमेल/पत्र आदि के द्वारा ग्राहक को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिये कि नोटिस की तारीख से एक माह के भीतर खाते में न्यूनतम शेष राशि बहाल नही होने पर दण्डात्मक प्रभार लागू होगा।

ii) यदि तर्कसंगत अवधि जो कमी की नोटिस की तारीख से एक माह से कम नही होगी, के भीतर न्यूनतम शेष राशि बहाल नही हुई तो खाताधारक को सूचित करते हुये दंडात्मक प्रभार की वसूली की जायेगी।

iii) इस प्रकार लगाये जाने वाले दण्डात्मक प्रभारो के संबंध में नीति का निर्णय बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से किया जाना चाहिये।

iv) दंडात्मक प्रभार पाई गई कमी की मात्रा के प्रत्यक्ष अनुपात में होना चाहिये। दूसरे शब्दो में ये प्रभार रखी गई वास्तविक शेष राशि तथा खाते खोलते समय सहमत न्यूनतम शेष राशि के बीच अंतर की राशि का एक नियत प्रतिशत होना चाहिये। वसूल किये जाने वाले प्रभारो की एक उचित खंड संरचना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसे दंडात्मक प्रभार वाजिब है तथा सेवायें प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप है।

vi) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि केवल न्यूनतम शेष राशि बनाये ना रखने के लिये प्रभार लगाने के कारण बचत खाते में शेष राशि ऋणात्मक ना हो जाये।

5.7 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014:-

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के फलस्वरूप इस अधिनियम में धारा 26क शामिल की गई है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बेंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना करने के लिये अधिकृत किया गया। तदानुसार योजना को शासकीय राजपत्र 24 मई 2014 को अधिसूचित किया गया है, जिसे अनुबंध ।। में दिया गया है। योजना के पैरा 3 vi) के अनुसार बैंको को अपेक्षित है कि वे प्रभावी तारीख से पूर्व के दिन, अर्थात 23 मई 2014 की स्थिति के अनुसार सभी खातो में उपचित ब्याज सहित संचयी शेष की गणना करेगे तथा ऐसी देय राशियों को 30 जून 2014 को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरण किया जाना चाहिये। उसके बाद, जैसाकि योजना के पैरा 3(vii)में उल्लेखित है, बैंको को चाहिये कि प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली राशियां तथा उस पर उपचित ब्याज अगले महिने के अंतिम कार्यदिवस पर निधि में अंतरित करें जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है। निधि में राशि जमा किये जाने, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र में निहित है।

5.7.1 वृद्ध/रूग्ण/अक्षम ग्राहको के अपने बैंक खाते में परिचालन करना सुविधाजनक बनाने के लिये नीचे में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाये। रूग्ण/पुराने/अक्षम खाताधारको के मामले में निम्नलिखित श्रैणियेां के अन्तर्गत आयेगें:-

i) कोई खाताधारक जो इतना बीमार हो कि चैक पर हस्ताक्षर ना कर सके। अपने बैंक खाते से पैसा आहरित करने के लिये बैंक में सशरीर उपस्थित ना हो सके। लेकिन चैक/आहरण फार्म पर अपने अंगूठे की छाप दे सकता हो तथा

ii) ऐसा खाताधारक जो ना केवल बैंक में सशरीर उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चैक/आहरण फार्म पर अपने अंगूठे की छाप देने में भी असमर्थ हो।

5.7.2 बैंक निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करे:-

i) जहां बीमार/बूढे/अक्षम खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे की छाप प्राप्त की जाती है वहां इस छाप की पहचान बैंक को ज्ञात दो गवाहो की जानी चाहिये जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो।

ii) जहां ग्राहक अपने अंगूठे की छाप भी नही दे सकता और बैंक में सशरीर उपस्थित भी नही हो सकता हो तो चैक/आहरण फार्म पर एक निशानी लेनी चाहिये जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा होनी चाहिये जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो।

5.7.3 इस प्रकार के मामले में ग्राहक से कहा जाये कि वह बैंक को यह सूचित करें कि उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त किये गये चैक/आहरण फार्म के आधार पर बैंक से आहरण कौन प्राप्त करेगा तथा उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहो से की जानी चाहिये। जो व्यक्ति बैंक से वास्तव में धन का आहरण कर रहा है उससे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत के लिये कहा जाना चाहिये।

5.7.4 इस संदर्भ में किसी ऐसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के प्रश्न पर जिसके दोनो हाथ ना हो तथा जो चैक /आहरण फार्म पर हस्ताक्षर नही कर सकता हो, भारतीय बैंक संघ द्वारा उसके सलाहकार से प्राप्त एक मत के अनुसार जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हो तथा दस्तावेज पर किये गये हस्ताक्षर एवं निशान के बीच भौतिक संपर्क होना चाहिये। इसलिये ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने अपने दोनो हाथ गवां दिये हो, हस्ताक्षर किसी निशान के

द्वारा किये जा सकते है। यह निशान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। यह पैर के अंगूठे की छाप हो सकता है जैसा बताया गया है। यह किसी ऐसे निशान द्वारा किये जा सकते है जो उस व्यक्ति की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे हस्ताक्षर करने है, लेकिन किसी लिखित द्वारा दिया गया निशान का उस व्यक्ति के साथ भौतिक संपर्क हो जिसे हस्ताक्षर करने है।

6. दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान :-

दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट-रहित त्वरित भुगतान के लिये वर्तमान अनुदेशो का पालन किया जाये। मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावो का समय पर सहज रूप से निपटान सुनिश्चत करने की दृष्टि से मृत जमाकर्ताओं के खाते के संबंध में दावे का फार्म उक्त प्रयोजन के लिये बैंक/शाखाओं से सम्पर्क करने वाले किसी व्यक्ति/यों को उपलब्ध कराने के लिये बैंको को सूचित किया जाता है। दावा फार्म बैंक की वेबसाईट (www.recbjaipur.com) में से लेवे ताकि मृत जमाकर्ताओं के दावेदार बैंक के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के लिये फार्म प्राप्त करने हेतु संबंधित बैंक/ शाखा में गये बिना उसे वेबसाईट पर देखकर डाउनलोड़ कर सकें।

दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट रहित त्वरित भुगतान के लिये निम्नलिखित अनुदेशो का पालन किया जाये।

जमा खाते की शेष राशि तक पहुंच :-

6.1(i) जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते :-

यदि जमाकर्ता ने खाता खोलते वक्त नामांकन सुविधा का लाभ उठाया हो और खाता खोलते वक्त जीवित खाताधारक उपबंध (जीवित या दोनो या जीवित या इनमें से कोई या पहला या जीवित या बाद वाला या जीवित) के रूप में वैध नामांकन किया हो तो दिवंगत के जमा खाते के जीवित/नामांकिती के जमा खाते में शेष राशि बैंक अंतरित कर सकता है बशर्ते :-

a) जीवित/नामंकिती की पहचान के बारे में बैंक ने दस्तावेजी सबूतो से पूरे ध्यान और सावधानी के साथ जांच कर ली हो।

b) किसी भी सक्षम न्यायालय ने दिवंगत के खाते से भुगतान करने पर बैंक पर कोई रोक ना लगाई हो, और,

c) जो जीवित/नामंकिती बैंक से भुगतान प्राप्त करे उसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि वह दिवंगत के कानूनी वारिसो के लिये ट्रस्टी का कार्य करेगा, अर्थात इस भुगतान से उन व्यक्तियों के दावों पर कोई असर नही पडेगा जिनका जीवित/नामांकिती के प्रति कोई दावा बनता है।

d) उपरोक्त नियम पूर्व जमाओं पर भी लागू होगा लेकिन इसके लिये नामित से एक शपथ पत्र प्राप्त करना होगा एवं भविष्य में होने वाली जमाओं के लिये आवेदन पत्र पर इस आशय का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

6.1(ii) दिवंगत जमाकर्ता के खाते का भुगतान :-

जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त स्थाई जमा खाते का भुगतान समयपूर्व/परिपक्वता अवधि पर प्राप्त करने का अधिकार जीवित नामित को है। जब तक किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा बैंक को प्रतिबंधित नही किया जाता है तब तक बैंक जीवित नामितियों (खाते में जिनको नामित किया हो) को भुगतान करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार यदि सक्षम न्यायालय कोई आदेश बैंक को भुगतान करने से प्रतिबंधित नही करता तब तक जीवित नामित को भुगतान किया जा सकता है।

6.2 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित शर्तो के अधीन यदि बैंक जीवित नामंकिती को भुगतान कर देता है तो इससे बैंक की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। वैधानिक प्रतिवेदन की मांग अवांछित और बेमानी है और इससे जीवित/नामांकिती की परेशानियां बढेंगी ही और इसे गंभीर पर्यावेक्षणात्मक त्रुटि के रूप में देखा जायेगा। दिवंगत जमाकर्ता के जीवित/नामांकिती से बैंक को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, वसीयत पत्र इत्यादि की मांग पर जोर नही देना चाहिये और ना ही जीवित/नामांकिती से किसी प्रकार का इंडेमिनिटी बांड या जमानत की मांग नही करनी चाहिये चाहे दिवंगत जमाकर्ता के खाते में कितनी भी राशि हो।

6.3 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते

जिन मामलो में दिवंगत जमाकर्ता ने खाता में ''जीवित या इनमें से कोई भी'' (जैसे कि एकल या संयुक्त खाते में होता है) वाली स्थिति अपनाई हो तो उस स्थिति के लिये जमाकर्ता के कानूनी वारिसो को राशि चुकाने के लिये सरल प्रक्रिया अपनाये। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि जनसाधारण को कम से कम परेशानी हो। इसके मध्यनजर बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखकर एक ऐसी सीमा निर्धारित कर लें जिस तक दिंवगत जमाकर्ता के दावे क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को दिखाये भी निपटाये जा सकें। इस दिशा में बैक के प्रपत्र तथा जमा सीमा जो ₹4.00 लाख है का विवरण पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

6.4 मियादी जमा खाते का समयपूर्व समापन :-

i) दोनो खाताधारको में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी अथवा दोनो खाताधारको में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी अधिदेश वाली सावधि/मियादी जमा राशियों के मामले में बैंक एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते है लेकिन केवल उसी स्थिति में जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो।

ii) जहां पर बैंक ने ना तो खाता खोलने वाले फार्म में इस वाक्यांश को शामिल किया है और ना ग्राहको को ही इस प्रकार के अधिदेश की सुविधा के बारे में जागरूक बनाने के लिये पर्याप्त कदम उठाये है। उत्तरजीवी जमा खाताधारक को अनावश्यक असुविधा होती है। अतः पूर्वोक्त वाक्यांश को खाता खोलने वाले फार्म में अनिवार्य रूप से शामिल करे और अपने मौजूदा एवं भावाी सावधि जमाकर्ताओं को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित भी कर ग्राहक को शिक्षित करेगें।

iii) संयुक्त जमाकर्ताओं को मियादी जमा करते समय या बाद में जमा की मियादी/अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश लिया जाता है तो बैंक मृतक संयुक्त जमा धारक के कानूनी वारिसो की सहमति मांगे बिना ही उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा मियादी/सावधि जमा के परिपक्वतापूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते है। इस प्रकार के परिपक्वतापूर्ण आहरण पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रभार नही लगेगा।

6.5 दिवंगत जमाकर्ता के नाम आने वाले आगम का निपटान :-

जमा खाते के जीवित बचे खातेदार/नामिती के समक्ष आने वाली कठिनाईयो को ध्यान में रखते हुये बैंको को सूचित किया जाता है कि दिवंगत खातेदार के नाम आने वाले आगमो के निपटान के लिये वे जीवित बचे खातेदार/नामिती से समुचित करार/अनुमति पत्र प्राप्त कर लें। इस बारे में बैंक इन दो विकल्पो में से किसी एक विकल्प को चुन सकते है।

- बैंक दिवंगत खातेदार के जीवित बचे खातेदार/नामिती से दिवंगत श्री/श्रीमती. .... की संपति के रूप में खाता खोलने के लिये एक अधिकार पत्र हासिल कर सकते है ताकि दिवंगत खातेदार के नाम से आने वाले सारे आगमो को इसमें जमा किया जा सके। मगर इसमें एक शर्त यह होगी कि आहरण ना किया जाये।

या

- जीवित बचे खातेदार/नामिती बैंक को इस बात के लिये अधिकृत कर सकते है कि आने वाले आगम को दिवंगत खाताधारक की टिप्पणी के साथ प्राप्त करें और जीवित बचे खातेदार/नामिती को तदानुसार सूचित किया जाये। तत्पश्चात् जीवित बचे खातेदार/नामिती/कानूनी वारिस विप्रेषक के पास जाकर उचित लाभग्राही के नाम पराक्रम्य लिखित या ई सी एस अंतरण के माध्यम से प्राप्त करें।

6.6 सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुओ तक पहुंच :-

लॉकर किराये पर लेने वाले/सुरक्षित हिफाजत में वस्तुए रखने वाले दिवंगत के नामितियों या दिवंगत के उन उत्तरजीवियों (जिस स्थिति में लॉकर/सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुओं तक पहुंच उत्तरजीविता के उपबंध से निर्देशित होती हो) की लॉकर के किरायेदार/सुरक्षित हिफाजत में रखने वाले की मृत्यु के बाद पहुंच बनाने के लिये बैंक वही रूख अख्तियार करेगें। जैसा कि जमा खाते के लिये बताया गया है।

6.7 दावों के निपटान के लिये समय सीमा :-

बैंको को सूचित किया जाता है कि दिवंगत जमाकर्ता से संबंधित दावों का निपटान जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा दावे की उपयुक्त निशानदेही के पश्चात् उत्तरजीवियों/नामितियों को इसका भुगतान 15 दिन की अवधि के अन्दर कर दिया जाये। मगर पहले बैंक को इन दस्तावेजों से संतुष्ठ होना आवश्यक है। दिवंगत जमाकर्ताओं/लॉकर किराये पर लेने वालों/सुरक्षित हिफाजत में वस्तुए रखने वाले दिवंगतो के बारे में तथा जो मामले निर्धारित समय के बाद भी नही निपटाये जा सके उनके कारण बताते हुये बैंक अपने निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतरालो अनवरत आधार पर सूचित करते रहें।

6.8 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंको पर यथा लागू) के प्रावधान :-

इस बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंको पर यथा लागू) की धारा-58 के सात पठित धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1985 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ठ किया जाता है।

6.9 ग्राहको को सलाह तथा प्रचार :-

बैंको को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता उपबंधो के बारे में जमा खाताधारको में प्रचार प्रसार करे तथा इस बारे में उन्हें सलाह-मशविरा दें। उदाहरणार्थ प्रचार साहित्य में इस बात को उजागर किया जाये कि उत्तरजीविता उपबंध के बिना अपने आप ही उत्तरजीवी खाताधारक को जमा राशि प्राप्त करने का हक हासिल नही हो जायेगा।

7. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध मे दावो का निपटान :-

गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिति/कानूनी वारिसो से प्राप्त दावों पर बैंक निम्नलिखित प्रणाली का अनुशरण करे :-

a) गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107/108 के उपबंधो के अनुसार किया जायेगा। धारा 107 गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने तथा धारा 108 उसकी मृत्यु की परिकल्पना पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्यु की परिकल्पना का मामला गुमशुदा व्यक्ति के खोने की सूचना से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उठाया जा सकता है। अतः नामिती/कानूनी वारिसो को अभिदाता की मृत्यु हो जाने की सुव्यक्त परिकल्पना का मामला किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के अन्तर्गत उठाना होगा। यदि न्यायालय यह मान लेता है कि गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तब उस आधार पर गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किया जा सकता है।

b) बैंक ऐसे मामले में कानूनी राय पर विचार कर तथा प्रत्येक मामले के तथ्यो और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान करेगें। इसके अलावा, आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिये अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को ध्यान में रखते हुये वे एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते है जिसके अधीन वे (1) एफआईआर तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट तथा (2) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की प्रस्तुति पर जोर दिये बिना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान कर सकते है। संचालक मंडल इसकी समीक्षा कर स्वीकृति देगा।

c) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 16 अगस्त 2013 के परिपत्र सं- 1/2 उत्तराखंड/2011-वीएस-सीआरएस(एमएचए परिपत्र) द्वारा जून 14-20 के दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षैत्रो में गुमशुदा लोंगो की मृत्यु को पंजीकृत करने के लिये एक प्रक्रिया विकसित की है। शहरी सहकारी बैंको को सूचित किया गया है कि वे एम.एचए. परिपत्र के दायरे में आने वाले गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान करते समय (1) एमएचए परिपत्र के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और (2) क्षतिपूर्ति पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज का आग्रह ना करें।

d) शहरी सहकारी बैंको को सूचित किया गया है कि अनुच्छेद (ए) और (बी) में बताये गये अनुदेश अन्य मामलो पर लागू होगे जो एमएचए परिपत्र के दायरे में नहीं आते है।

8. बैकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय :-

8.1 सुरक्षित जमा लॉकर :-

बैंको को सभी लॉकर चाबियों पर एक पहचान कूट उत्कीण करना चाहिये ताकि आयकर अधिकारियो द्वारा लॉकर चाबियों की पहचान करना सुविधाजनक हो तथा यह कूट बैक तथा शाखा को दर्शायेगा जिसमें लॉकर किराये पर दिया है। पहले से ही किराये पर दिये गये लॉकर की चाबियों पर अनुदेशो के अनुसार अनुपालन धकरने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये यह सुझाव है कि जब लॉकर के परिचालन के लिये व्यक्ति बैंक में आते है तब उस चाबी पर परिचय कूट अंकित किया जाये। इस प्रयोजन के लिये लॉकर के विक्रेता कंपनी की सहायता लेकर कार्यवाही की जायेगी। संबंधित शाखा अपने लॉकर के सभी ग्राहको को लॉकर चाबियों के अंकन के संबध में सूचना दें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि केवल लॉकर ग्राहक की उपस्थिति में ही परिचय कूट अंकित किया जाता है।

8.2 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियो के साथ समन्वय :-

आयकर विभाग तथा बैकिंग प्रणाली के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इस प्रकार बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे जब भी आवश्यक हो, कर अधिकारियो को आवश्यक सहायता/समन्वयन प्रदान करते है। इसके व्यक्तिरिक्त बैंको को उन मामलो पर गहराई से विचार करना चाहिये जहां उनके स्टॉफ ने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों की किसी प्रकार अनदेखी की है/उनमें सहायता की है। इस प्रकार के मामलो में सामान्य दंडनीय कार्यवाही के अलावा इस प्रकार के स्टॉफ सदस्यो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

9. ''अपने ग्राहक को जानिए'' संबंधी दिशा निर्देश तथा धनशोधन निवारण मानक :-

के.वाई.सी. और एम.एम.एल. मानको से संबधित दिशा निर्देश को अपने ग्राहक को जानिये मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंको के दायित्व पर जारी किये गये मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है तथा बैंक की नीति का भी अनुशरण करें।

10. जमा राशियों पर ब्याज दरे :-

बैंक कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 तथा 35क में प्रदत्त शक्तियों के तहत् भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज जमा हेतु निर्देश जारी किये है जिन्हें बैंक मानने को बाध्य है।

10.1 बचत जमा राशि पर देय ब्याज दर :-

25 नवम्बर, 2011 से बैंक बचत बैंक में जमा ब्याज दर निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के तहत् बैंक सभी बचत खातो पर समान रूप से ब्याज दर 4.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान करेगा तथा यह खाते की शेष राशि पर दैनिक आधार पर ब्याज का परिकलन करेगा। ब्याज वर्ष में 2 बार प्रतिवर्ष 30 मार्च/ 29 सितम्बर को देय होगा। यदि 30 मार्च/29 सितम्बर का अवकाश हो तो 1 दिन पूर्व ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

10.2 मियादी जमा राशियां पर ब्याज दरे :-

अ. वर्तमान में बैंक द्वारा मियादी जमा पर निम्न सारणी के अनुसार ब्याज दर प्रचिलित है

क्र.सं.	मियादी जमा योजनाएं	ब्याज दर	वरिष्ठ नागरिको के लिये ब्याज दर
1	7 दिन से 30 दिन तक	**3.50%**	4.00%
2	31 दिन से 90 दिन तक	**4.50%**	5.00%
3	91 दिन से 180 दिन तक	**5.50%**	6.00%
4	181 दिन से 1 वर्ष तक	**6.00%**	6.50%
5	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	**6.25%**	6.75%
6	3 वर्ष से अधिक	**6.00%**	6.50%
7	सावधि जमाओं पर	मियादी जमाओं के अनुरूप	

ब. सेवानिवृत बैंक अधिकारियो/कर्मचारियो को मियादी जमाओं पर निर्धारित ब्याज दर से 1.00 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर (0.50% for Ex Staff + 0.50% for Senior Citizen = 1.00% above on applicable rates) का लाभ दिया जायेगा।

10.3 ब्याज परिकलन प्रणाली :-

अ. आई.बी.ए. ने यह निर्धारित किया है कि तीन माह से कम देय जमा राशियों पर या जहां अंतिम तिमाही अपूर्ण हो वहां वर्ष 365 दिनों का मानते हुये वास्तविक दिनों की संख्या से लिये आनुपातिक आधार पर ब्याज अदा की जाये। शाखायें जमा राशि स्वीकार करते समय अपने जमाकर्ताओं को ब्याज के परिकलन के तथ्य की समुचित जानकारी देवे तथा शाखा के सूचना पट्ट पर निर्देश लगावें।

ब. संयुक्त खाताधारको के नाम जोड़ना/हटाना या अलग-अलग करना :-

संयुक्त खाताधारक के अनुरोध पर-

(i) संयुक्त खाताधारको के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है। या

(ii) किसी अकेले जमाकर्ता को संयुक्त खाताधारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है। या

(iii) संयुक्त जमा राशि को प्रत्येक संयुक्त खाताधारक को नाम अलग-अलग करने की अनुमति दे सकता है।

बशर्ते जमाराशि यदि मियादी जमा राशि हो तो मूल जमा की राशि और अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो।

स. रविवार/छुट्टी वाले दिन/नॉन वर्किंग डे वाले दिन को परिपक्व होने वाली मियादी जमा राशियों पर ब्याज का भुगतानः-

रविवार/छुट्टी वाले दिन/कारोबार तक कार्य दिवस (नॉन वर्किंग डे) को भुगतान करने के लिये परिपक्व होने वाली मियादी जमा राशियों के संबंध में बैंक अगने कार्य दिवस तक पहले से सहमत दर से ब्याज अदा करेगें।

(i) पुनःनिर्देश जमा राशियें और आवर्ति जमा राशियों के मामले में परिपक्वता के मूल्य पर और।

(ii) सामान्य मियादी जमा राशि के मामले में वर्ष में 365 दिन के आधार पर आरम्भिक मूलधन पर (Principal Amount)

द. संयुक्त खाते- कोई एक जीवित नामित, उत्तरजीवी या जीवित नामित/पूर्वत या जीवित नामित (Either or Survivor/ Former or Survivor / Later or Survivor):-

उपरोक्त के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया निर्देश पत्र एलसी/19.96.29 दिनांक 28.08.1980 का है, तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनाक 01.07.2013 के साथ संलग्न है, जो हमारे पत्र दिनांक 12.12.13 के साथ आवश्यक कार्यवाही तथा मार्गदर्शन हेतु संलग्न किया गया है।

11. मृत जमाकर्ता के जमा खाते पर देय ब्याज :-

बैंक अपने विवेक से मृत जमाकर्ता व्यक्ति या दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ता, जहां एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के नाम रखी गयी राशि पर ब्याज भुगतान कानूनी वारिस/प्रतिनिधि/नामितियों को करने के लिये पारदर्शी नीति बनाये, जो विवेकाधिकार पर आधारित हो भेदभाव पूर्ण नही हो। अतः निम्न नीति होगीः-

(i) यदि जमाकर्ता की मृत्यु परिपक्व तिथि से पूर्व हो (DOM) :-

उपरोक्त संदर्भ में यदि जमाकर्ता की मृत्यु उसकी भुगतान तिथि से पूर्व हो गई हो (Date of Maturity) तो ऐसे केस में जमाकर्ता के नामिती/उत्तराधिकारी को मृत्यु की दिनांक तक Contract Rate से ब्याज देय होगा। मृत्यु की दिंनाक (Date of Death) को

नामित/उत्तराधिकारी पर लागू ब्याज दर से Date of Maturity तक किया जायेगा। नामिनी/उत्तराधिकारी भुगतान तिथि से जमा का आगे नवीनीकरण करवायेगा तो यह नया Contract होगा तथा उस दिन (Date of renewal) देय ब्याज दर उस अवधि के लिये होगी वह लागू होगी।

(ii) **यदि जमाकर्ता की मृत्यु Date of Maturity के बाद हुई हो :-**

उपरोक्त संदर्भ में यदि जमाकर्ता की मृत्यु Date of Maturity के बाद की तिथि पर हुई हो तो ऐसी अवधि में उससे Contract Rate पर ब्याज देय नही होगा क्योकि Date of Maturity पर उसका Contract समाप्त हो गया है तथा नया आदेश हेतु वह उपलब्ध नही है। ऐसे मामले में Date of Maturity से भुगतान तिथि तक उसका बचत खाते की दर से ब्याज मिलेगा। नामिनी/उत्तराधिकारी भुगतान तिथि से जमा का आगे नवीनीकरण करवायेगा तो यह नया Contract होगा तथा उस दिन (Date of renewal) देय ब्याज दर उस अवधि के लिये होगी वह लागू होगी।

12. समयपूर्व नवीनीकरण मियादी जमाओं का :-

यदि जमाकर्ता अपनी जमा का समयपूर्व (Premature Closure) कराना चाहता है तथा पुनः नवीनीकरण करवाना चाहता है तो उस पर नवीनीकरण की तिथि से उस अवधि तक आगे बढाया जायेगा जो कि शेष अवधि से अधिक हो-

उदाहरण :-

Date of Deposit	: 01-01-2010
Date of Maturity	: 01-03-2015
Premature Closure for Renewal	: 01-04-2014

पुरानी जमा पर 01.01.2010 से 01.04.2014 की अवधि के लिये प्रचलित ब्याज दर में से Penalty काटकर भुगतान किया जायेगा। दिंनाक 01.04.14 को मिनिमम अवधि 11 माह से "अधिक" की होनी चाहिये।

13. अतिदेय जमाओं के ब्याज भुगतान हेतुः-

अ. यदि Over Due अवधि Upto 14 दिन है तथा पुरी राशि का नवीनीकरण करवाता है तो Date of Maturity पर देय ब्याज दर से जमा का नवीनीकरण हो जायेगा। इसमें अवधि का निर्धारण 12 माह/Lapsed Period/Original Period of Deposit which ever is lower के लिये की जायेगी।

ब. यदि Over Due Period 14 दिन से अधिक है तथा पूरी राशि अथवा Part Amount का नवीनीकरण होता है तो-

(i) ब्याज सिर्फ नवीनीकरण राशि पर देय होगा जो Fresh Deposit के रूप में आयेगी।

(ii) ब्याज दर Over Due Amount तथा Over Due Period के लिये Date of Marturity पर देय ब्याज दर तथा Renewal Date पर जो भी कम हो पर ब्याज दिया जायेगा।

(iii) पूरे अतिदेय राशि (Over Due Amount) पर Simple Rate से ब्याज देय होगा। (without Compounding)

(iv) यदि अतिदेय अवधि 14 दिन से ज्यादा है तथा उपर 'अ' में दर्शाये गये Period से कम समय के लिये रिन्यू करवाता है तो साधारण दर पर बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा।

स. यदि नवीनीकरण नही करवाता है तो Maturity Date से Payment Date तक SB Rate से साधारण ब्याज देय होगा।

14. मियादी/विशेष मियादी जमाओं का ऑटो रिन्यूवल :-

i) दिंनाक 01.10.2015 से जो भी जमा खाता दिंनाक 30.09.2015 तक परिपक्व हो जायेगे तथा जिनका Mature FD a/c में स्थानान्तरण नही हुआ है, को सिस्टम द्वारा स्वतः ही जितने समय के लिये पूर्व में जमा थी उतनी ही अवधि के लिये Auto Renewal कर दिया जायेगा।

ii) नीचे वर्णित नेवियेगेशन के अनुसार आप रिपोर्ट निकालकर आप यह सुनिश्चित कर लेवे की जमाकर्ता के जमा खातो में 15जी/15एच फार्म अथवा पैन कार्ड सिस्टम में फीड है अथवा नहीं। क्योकि यदि इनकी अनउपलब्धता में कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही जमाओं पर टीडीएस की कटौती कर ली जायेगी।

Reports → Register → Deposit Register → Account Related Register → Executable → Matured Deposit

Select Account Type → ______Fixed Deposit________

Select Product Name → Fixed Deposit
Fixed Deposit Monthly
Fixed Deposit Quarterly
Re-Investment

Click on Date Range: From Date : 01-01-1901
To Date : 30-09-2015

Click on Show Report

iii) ध्यान रहे भविष्य में प्रत्येक दिन सिस्टम द्वारा परिपक्व होने वाली FD/RI/FQ/FM जमाओं का स्वतः ही Auto Renewal कर दिया जायेगा।

iv) Mature Analysis रिपोर्ट में सबसे अंतिम कॉलम में Account का Currant Status दर्शाया जायेगा। इससे जिस खाते के सामने Status Active लिखा हुआ होगा सिस्टम द्वारा उसी खाते को Auto Renewal किया जायेगा। अतः आप निम्न प्रोफार्मा में एक सील बनवाये।

''मेरे जमा FD/RI/FQ/FM खाता सं- ....को परिपक्व होने पर दिनांक .... से स्वतः ही Auto Renewal कर दिया जाये।''

v) उपरोक्त सील एफडी फार्म पर लगाये तथा ग्राहक से स्वीकृति लें तथा ध्यान रहे यदि जमाकर्ता Auto Renewal हुई मियादी जमा को कम व अधिक अवधि के लिये रिन्यू करवाता हे तो प्री-मैच्योर ऑप्शन से रिन्यू की जा सकती है तथा उसकी रिन्यू भी उसी परिपक्वता तिथि से की जानी है तथा जमाकर्ता से कोई Pre Mature Charges नही लिये जायेगें। यदि जमाकर्ता भुगतान चाहता है तो वर्तमान नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। भविष्य में डिपोजिट खाता खोलते समय Auto Renewal पोजिशन पर YES चुनें।

****